संख्या-228/2025/2160/001-23-9002(002)/57/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 03 दिसम्बर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग को जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न जनपदों के 60 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग को जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न जनपदों के 60 नये कार्यों हेतु कुल लागत रू0 74,76,13,000/- (रूपये चौहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष स्तम्भ-11 के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 40,62,63,000/- (रूपये चालीस करोड़ बासठ लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:- (धनराशि रू0 लाख में)

क्र	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	क्षेत्र/मण्डल	जनपद/खण्ड	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	लागत	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2438 (76-VI)/समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 29-09-2025	लखनऊ	खीरी/ नि0खं0-3	कोलवा फार्म सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	3.300	320.08	23.25	343.33	185.65
2	2438 (76-VI)/समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 29-09-2025	लखनऊ	हरदोई/ नि0खं0-1	भरिगवां औरैनी मार्ग से भज्जापुरवा मिसिंग लिंक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	1.800	113.59	8.25	121.84	65.88
3	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	झाँसी	ललितपुर/ नि0ख0	कड़ेसरा का मजरा लम्बरदारवारा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.100	52.03	3.78	55.81	30.18
4	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	बागपत/ प्रा0ख0	खिन्दौडा फतेहपुर मार्ग से किशनपुर डिग्री कॉलिज ग्वालीखेडा तक मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	1.700	88.23	6.41	94.64	51.17
5	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	गाजियाबाद/ नि0ख0-2	राजपुर तालाब से नाले तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	1.100	73.74	4.66	78.40	42.77
6	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	झाँसी	झाँसी/ प्रा0ख0	भगवन्तपुरा मुक्तिधाम के पास श्री राजकुमार के मकान होते हुये सिंगर्रा गॉव की ओर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.800	155.07	11.37	166.44	89.94
7	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	बुलन्दशहर/ नि0ख0-2	महीपा से रोनी सलौनी रेलवे हाल्ट तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	1.300	80.95	5.88	86.83	46.95
8	2449(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	बुलन्दशहर/ नि0ख0-2	बडौदा से जाहिदपुर की छूटीकड़ी का नव निर्माण कार्य	1.070	95.78	4.07	99.85	55.55
9	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	कानपुर	कन्नौज/ नि0ख0-1	सराय प्रयाग से सूलनपुर नौसारा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	3.000	171.00	12.54	183.54	99.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	कानपुर	कन्नौज/ नि0ख0	फतेपुर से रतनापुर मार्ग का निर्माण कार्य	1.000	59.47	4.32	63.79	34.49
11	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	कानपुर	कन्नौज/ नि0ख0	फतेपुर पुलिया से सिरसा मन्दिर तक मार्ग का निर्माण कार्य	1.200	83.47	6.06	89.53	48.41
12	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	मुरादाबाद	मुरादाबाद नि0खं0-१	चिड़ियाठेर से पीतपुर सम्पर्क मार्ग	3.400	255.82	18.76	274.58	148.38
13	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	मुरादाबाद	मुरादाबाद नि0खं0-१	गणेश घाट से हिरनखेड़ा मुस्तकम सम्पर्क मार्ग	1.500	124.08	9.10	133.18	71.97
14	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	सहारनपुर	सहारनपुर नि0खं0-३	कुण्डी नवादा मार्ग से सरदारों के डेरे तक मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.300	195.20	10.50	205.70	113.22
15	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	सहारनपुर	मुजफ्फर नगर प्रा0खं0	तुलसीपुर से पलड़ी मार्ग	2.200	149.02	10.43	159.45	86.43
16	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	सहारनपुर	मुजफ्फर नगर नि0खं0-1	कुतुबपुर सम्पर्क मार्ग प्राईमरी स्कूल से डन्डो मार्ग	1.500	61.15	4.44	65.59	35.47
17	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	सहारनपुर	मुजफ्फर नगर नि0खं0-1	मुजफ्फर नगर में माण्डला खाईखेड़ी शुगर मिल सम्पर्क मार्ग	2.750	129.34	7.73	137.07	75.02
18	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	मुरादाबाद	अमरोहा नि0खं0	अमरोहा के चुबका बुढनपुर से रसूलपुर गुर्जर मार्ग	1.150	72.34	5.25	77.59	41.96
19	2465/(54-C)/ स0वृ0 /2025, दि0. 03-10-2025	प्रयागराज	प्रयागराज/ प्रा0ख0	मुख्य मार्ग से मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड प्रयागराज (बम्हरौली) तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	1.000	57.51	4.18	61.69	33.36
20	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	प्रयागराज	फतेहपुर/ नि0ख0-2	छेदा सिंह का डेरा मजरे सरकण्डी मार्ग ।	1.000	69.92	5.07	74.99	40.55
21	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	प्रयागराज	फतेहपुर/ नि0ख0-2	हरइया पासी का डेरा मजरे सरकण्डी मार्ग।	1.000	70.29	5.11	75.40	40.77
22	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	प्रयागराज	प्रतापगढ़/ नि0ख0-2	पितईपुर से जगुआम (माती का पुरवा) सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	1.500	86.91	6.31	93.22	50.41
23	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आगरा	आगरा/ नि0ख0-2	कुबेरपुर से रहनकला मार्ग (रहनकला फाटक) तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य ।	1.850	98.25	7.14	105.39	56.99
24	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आगरा	मथुरा/ प्रा0ख0	लोरिहापट्टी से नगला दबदा मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	1.900	154.11	8.95	163.06	89.38
25	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आगरा	मथुरा/ प्रा0ख0	खामनी मोरा मार्ग से इकदन्ता मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	2.000	127.68	8.93	136.61	74.05
26	2516(54-C)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 09.10.2025	प्रयागराज	प्रयागराज/ नि0ख0-3	बडगोहना से घटवा नहर की पटरी में सेमरी से पास मार्ग का नवनिर्माण का कार्य ।	1.500	72.230	5.240	77.470	41.89
27	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आगरा	आगरा/ नि0ख0-2	अयेला से निबाई मार्ग के नवनिर्माण का कार्य ।	2.200	160.65	9.19	169.84	93.18
28	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आजमगढ़	मऊ/ नि0ख0	ग्रामसभा परदहा में हरिजन बस्ती से कमलापुर तिवारी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	1.000	54.77	3.98	58.75	31.77
29	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आजमगढ़	मऊ/ नि0ख0	अहिरौली लालनपुर पिच रोड से लालनपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य ।	1.000	50.01	3.63	53.64	29.01
30	2538 /(54-C)/ स0वृ0 /2025, दि0-14-10 -2025	बरेली	बरेली / प्रा0ख0	ग्राम हरदुआ गौटिया से ग्राम बिथरी तक नवनिर्माण का कार्य Í	1.600	90.310	6.560	96.870	52.38
31	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	आगरा	आगरा/ प्रा0ख0	जनपद आगरा में बाह उदी के किमी0-19 से कूकापुर से छोटे का पुरा मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.000	73.42	4.42	77.84	42.58
32	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	अयोध्या	बाराबंकी/ प्रा0ख0	पूरे गिरधर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।	1.200	78.86	5.72	84.58	45.74

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

33	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	अयोध्या	बाराबंकी/ प्रा0ख0	चौबीसी कमेला मार्ग (अ0जि0मा0) से पूरे अडरी वायां पूरे एंगर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य ।	1.470	91.24	6.62	97.86	52.92
34	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	बांदा	महोबा/ नि0ख0-1	गौरहारी से लुहारी तक नवनिर्माण कार्य ।	2.200	187.33	11.92	199.25	108.65
35	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	बांदा	हमीरपुर/ प्रा0ख0	गढ़ा सन्तकुटी मार्ग के किमी0 01 से केवट का डेरा, मनुआ का डेरा मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	2.500	174.23	12.78	187.01	101.05
36	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	बरेली	पीलीभीत/ प्रा0ख0	ग्राम चहलोरा से भगतनिया सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य ।	1.450	104.41	7.58	111.99	60.56
37	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	बरेली	बदायूं/ नि0ख0-2	बिल्सी से सुकटिया मार्ग ।	1.800	125.52	9.20	134.72	72.80
38	2516(54-C)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 09.10.2025	बरेली	बरेली/ नि0ख0-1	गैनी अखा मार्ग के किमी0-12 से वाहनपुर होते हुये मजनूपुर तक ।	2.550	179.010	10.970	189.980	103.83
39	2516(54-C)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 09.10.2025	बरेली	बरेली/ नि0ख0-1	रसूला कुआडांडा मार्ग से बमिया शंकरपुर मार्ग में नवनिर्माण का कार्य ।	1.300	111.270	8.080	119.350	64.54
40	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	बरेली	पीलीभीत/ प्रा0ख0	ग्राम बिलगवां से भूड़े गौटिया तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य ।	1.500	114.03	7.10	121.13	66.14
41	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	बरेली	शाहजहाँपुर/ प्रा0ख0	बैकुण्ठापुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	2.100	176.32	12.93	189.25	102.27
42	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	देवीपाटन	गोण्डा नि0खं0-१	माझा तरहर का मजरा पश्चिम सम्पर्क मार्ग	1.200	96.12	6.97	103.09	55.75
43	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	देवीपाटन	बहराइच प्रा0खं0	लालजीपुरवा सम्पर्क मार्ग रा0ग्रा0 पुरैना भवानीबक्श के निर्माण का कार्य	1.000	88.10	3.65	91.75	51.10
44	2438 (76-VI)/समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 29-09-2025	गोरखपुर	गोरखपुर/ नि0खं0-3	भैसहा में गिदहवा टोला सम्पर्क मार्ग	1.050	74.84	5.44	80.28	43.41
45	2506(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 09.10.2025	झाँसी	ललितपुर/ प्रा0ख0	ग्राम पंचायत बानपुर के मजरा हसरैयन मुहल्ला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.000	129.230	9.480	138.710	74.95
46	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	कानपुर	कानपुर देहात/ प्रा0ख0	राजस्व ग्राम फतेहपुर रसूलाबाद का मजरा टांडापुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.350	158.00	11.59	169.59	91.64
47	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	हापुड/ प्रा0ख0	फगौता करनपुर मार्ग से मिल्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	3.100	189.69	12.70	202.39	110.02
48	2449(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	गौतमबुद्धनगर / प्रा0ख0	फलैंदा बांगर से फलैंदा खादर मार्ग से सोलडा मार्ग	2.000	127.58	9.36	136.94	74.00
49	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	बुलन्दशहर/ प्रा0ख0	नीमखेड़ा प्राईमरी स्कूल से ग्यासपुर समपक्र मार्ग तक नवनिर्माण का कार्य।	1.350	141.82	5.40	147.22	82.26
50	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	बुलन्दशहर/ प्रा0ख0	पोटा कबूलपुर से बंगौली होते हुए सिम्भावली मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.000	83.05	4.02	87.07	48.17
51	2446(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	बुलन्दशहर/ प्रा0ख0	बुलन्दशहर-स्याना-गढ़ मार्ग के कि0मी0 18 से रामगढ़ सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.100	97.65	5.12	102.77	56.64
52	2449(76-I)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 30.09.2025	मेरठ	बुलन्दशहर/ नि0ख0-2	जीराजपुर से बम्बे की पटरी गांव मनापुर तक छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	1.550	100.87	7.33	108.20	58.50
53	2434/(54-C)/ स0वृ0 /2025 दिनांक 29-09-2025	मीरजापुर	मीरजापुर/ नि0ख0-2	जमुई अहरौरा मार्ग से हटिया का नवनिर्माण कार्य ।	1.700	127.80	7.86	135.66	74.12
54	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	मुरादाबाद	बिजनौर प्रा0खं0	नई बस्ती फतेहपुर से भोजपुर भोपतपुर मार्ग	1.000	76.39	4.09	80.48	44.31

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

55	2463(76-V)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 03.10.2025	मुरादाबाद	अमरोहा नि0खं0	हसनपुर करनखाल मार्ग से झुझौरी मार्ग का निर्माण कार्य।	2.100	146.54	9.79	156.33	84.99
56	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	मुरादाबाद	रामपुर नि0खं0	शिव मन्दिर पंजाब नगर से बिजईया तक मार्ग	1.450	101.28	7.42	108.70	58.74
57	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	सहारनपुर	सहारनपुर नि0खं0	दुहारकी धारकी से खटकाहेडी सम्पर्क मार्ग	1.200	84.96	4.44	89.40	49.28
58	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	सहारनपुर	मुजफ्फर नगर नि0खं0-1	मुजफ्फर नगर में सिखरेडा से मखियाली सम्पर्क मार्ग	3.200	203.17	14.90	218.07	117.84
59	2428/(99)/समग्र वृत्त/2025-26 दि0 29-09-2025	वाराणसी	चन्दौली नि0खं0	परसीया से गायघाट मार्ग	1.350	96.41	7.00	103.41	55.92
60	2463(76-V)समग्र वृत्त/2025-26 दिनांक 03.10.2025	वाराणसी	चन्दौली प्रा0खं0	एन0एच0-२ एकौनी कमलापुर मार्ग से परोरवा (मुगलसराय पंचवटी) मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	1.500	92.32	6.70	99.02	53.55
					योग	7004.46	471.67	7476.13	4062.63

(1) प्रायोजनान्त प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा समक्ष स्तर से तनकीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/दस- 2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के क्रम में लोक निर्माण विभाग की प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी। सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त(लेखा)अनु02 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 , दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत विभाग द्वारा सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण किया जाये तदोपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये। यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रायोजनान्तर्गत आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(13) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(14) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों हेतु पंचवर्षीय अनुरक्षण की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(15) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(16) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(17) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय में ही पूर्ण हो जाये।

(18) यदि प्रायोजना में भूमि अध्यासि का प्राविधान किय गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्राशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अतः प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(23) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(24) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(25) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(26) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(27) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/ बी-1-352/दस-2025-231/2023, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(28) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,62,63,000 (रुपये चालीस करोड़ बासठ लाख तिरेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371800 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुननिर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-626-X-2025-26, दिनांक- 26 नवंबर, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।